

# FORM NO. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

1

अदालत

उपजिला कलेक्टर

मुकाम

चौथ का बरवाड़ा

मुकदमा

251 PTA-4

नं.

18

सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
18-6-18	पत्रावली पेश हुई। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया जो पूर्ण है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावें। प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण की तबली हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 21-6-18 को पेश हो। के.ए. कलकरी	4590-4595 18-6-18
21-6-18	पत्रावली पेश की गई है। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया जो पूर्ण है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावें। प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण की तबली हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 21-6-18 को पेश हो। के.ए. कलकरी	
30-6-18	पत्रावली आज चाय आपके द्वार के अलागल आयोजित लोक अदालत कम्युनिटी चौथ बाबरवाड़ा में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व जवाबनुसार अपना पक्ष रखा गया। प्रार्थनापत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थनापत्र राठका 02/1955 की धारा 251A के लिए निर्धारित प्रपत्र में (प्राप्त) नहीं है। साथ ही प्रार्थनापत्र की भद सूच दौमे वर्गीत भूमि प्राथी, अप्रार्थीगण समस्त एवं अन्य बहुत से खालेदारों की संयुक्त खालेदारी की भूमि है। प्राथी द्वारा बहुत से सहखालेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। साथ ही संयुक्त अराजी संयुक्त खालेदारी/सहखालेदारी की भूमि	

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर या आह्वान जो हुकम तागीर में</p>
	<p>होने से यह निर्धारित किया जाता          होगा नहीं है की प्राची की खालदारी          भूमि को नसी है जिसमें आवागमन          हेतु उसे रास्ते की आवश्यकता है।          अला उमल आदर पर प्राची का          प्राचीना पत्र खारिज किया जाता है।          पत्रावली फेसल सुमार हो पत्र को          से रम हो।</p> <p style="text-align: center;">उप जज कोर्ट          चौथे को बरगाड़ा</p>	